मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2017 सत्र
दैनिक कार्य सूची
गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 29, 1939)
समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, द स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस चंद्र जैन, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 987/म.प्र.वि.नि.आ./2017 दिनांक 06 जुलाई, 2017, तथा

(ख) ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-28-2014-तेरह. दिनांक 16 मई, 2017

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का बारहवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 (01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) के साथ ही उक्त वार्षिक प्रतिवेदन का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

(5) श्री शरद जैन, राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 14 की अपेक्षानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-30/2017/1/55 दिनांक 10 अप्रैल, 2017 पटल पर रखेंगे.

(6) श्रीमती ललिता यादव, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आर्टीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 की उप कंडिका (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे, सदस्य, बालाघाट जिले में बंदोबस्त कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, सुसनेर क्षेत्र में अटल ज्योति अभियान के तहत फीडर विभक्तिकरण का कार्य सुचारू रूप से न होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

सुश्री मीना सिंह माण्डवे, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन से सहमत है.".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -
(क) ग्राम टिटोरा में सड़क का निर्माण किये जाने, तथा
(ख) ग्राम नागली से प्रतापपुरा के बीच स्थित पुल का पुन: निर्माण किये जाने,
(2) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के -
(क) ग्राम पडरिया के मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम शाहपुर से बिचुआ होकर पोनिया मार्ग का निर्माण किये जाने,
(3) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम लटूरीगुर्जर में वृहद तालाब या बांध का निर्माण किये जाने,
(4) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के ग्राम अरनियाकलां में नवीन महाविद्यालय खोले जाने,
(5) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -
(क) ग्राम गलेथा, भैंसरोली के क्वारी नदी पर स्टापडेम कम रपटा तथा ग्राम गुढ़ा चंबल तक सड़क बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम गुट्टी में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किये जाने,

(6) श्री प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम नरयावली में तालाब का गहरीकरण एवं मरम्मत कराये जाने,
(7) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बरखेड़ी में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन निर्माण कराये जाने,
(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
(क) ग्राम अमदरी में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने,तथा
(ख) ग्राम चरकूमर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाए जाने,
(9) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य, रतलाम जिले के -
(क) जावरा नगर की सांर्इधाम कालोनी में पेयजल की व्यवस्था मुहैया किये जाने,तथा
(ख) ग्राम मोरिया से रलायता तक सड़क का निर्माण स्वीकृत किये जाने,
(10) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डौरी जिले के -
(क) ग्राम मझगवां के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बरनई के माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(11) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम झींझन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखण्ड नौगांव के शासकीय माध्यमिक शाला अमा, रगौली एवं अन्य में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,
(12) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले की अहांरी बांध के बेस्टवियर पर छोटी पुल बनाये जाने,
(13) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम बेलखेड़ी से सांईखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,
(14) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के महिदपुर से नागदा व्हाया मुण्डलापरवल, बोरखेड़ाफिगमल में दो लेन रोड बनाये जाने,
(15) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, सदस्य, गुना जिले के ग्राम पुरापोसर में रमगढ़ा से रंगपुरा तक मार्ग एवं पुलिया निर्माण कराये जाने,
(16) श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य, गुना जिले के ग्राम शेखपुर से विजयपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -
(क) ग्राम दबोह-जगदीशपुरा-संसीगढ़-आलमपुर तक मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(ख) दतिया जिले के पुलिस थाना डीपार का नाम परिवर्तित कर थाना मगरौल जिला दतिया किये जाने,
(18) श्री मधु भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम छोटा जागपुर से आगरबाड़ा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम सावन के हायर सेकेण्ड्री स्कूल का भवन बनाये जाने,
(20) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम चिखलाझोड़ी होते हुए ग्राम रूपझर की मुख्य सड़क तक पक्के मार्ग का निर्माण कराये जाने,
(21) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम गुरसी से गोकला को जोड़ने वाली कच्ची सड़क का निर्माण कराये जाने,
(22) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम सोनतलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रारंभ किये जाने,
(23) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम सवासड़ा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(24) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के तहसील केवलारी में दलाल बांध का निर्माण पूर्ण कराये जाने,
(25) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के अमाड़ी जलाशय/चादनखेड़ा की मरम्मत किये जाने,
(26) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम अडवाड़ के मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(27) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम दुलहरा के हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(28) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के -
(क) पोहरी एवं बेराढ़ के हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कृषि संकाय प्रारंभ किये जाने, तथा
(ख) ग्राम वेहरदा से कदवई तक सड़क बनाये जाने,
(29) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर जिले के ग्राम मैना में वृहद तालाब का निर्माण कराये जाने,
(30) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम सावन में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने,
(31) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के क्षिप्रा नदी पर ग्राम डूंगरिया में उच्चस्तरीय डेम बनाये जाने,
(32) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मोया में शासकीय हाईस्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(33) श्री अनिल जैन, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के अंजनी माता मंदिर से रमपुरा एवं लड़वारी से दरैठा मार्ग डामरीकृत किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

1 घण्टा (1) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (2) श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

30 मि. (3) श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 जुलाई, 2017